पत्रांक–डी0डी0–1–विविध–165/35/2024 (पार्ट–III) ....

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, अररिया/छपरा/गोपालगंज/खगड़िया/किशनगंज/मोतीहारी/मुंगेर/नालंदा/समस्तीपुर/मधुबनी/बक्सर
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः–........................

विषयः– **दिनांक 25.05.2026 को प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की समीक्षा बैठक की कार्यवाही के संबंध में।**

प्रसंगः– संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का पत्रांक 1685 पटना, दिनांक 08.06.2026

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रारांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 25.05.2026 को प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की रागीक्षा बैठक में प्रशासी विभाग द्वारा विभिन्न जिलों के जिला आपात अनुक्रिया सुविधा–सह–प्रशिक्षण केन्द्र (DERF-TC) में पानी के निकासी की समुचित प्रबंध न होने एवं परिसर में पानी लगातार जमा रहने के कारण खेद व्यक्त किया गया है।

अतः इस संदर्भ में आपसे प्रतिवेदन अपेक्षित है। साथ ही अपने स्तर से स्थल का निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि स्थल पर पानी निकासी हेतु क्या प्रबंध है एवं उक्त निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलन में पानी निकासी हेतु क्या प्रावधान किये गये है, एवं क्या कार्य पूर्ण रूप से कर लिया गया है?
अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– दिनांक–
प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण/पटना)/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ/छपरा/मुंगेर/भागलपुर/दरभंगा/मोतिहारी/पटना/आरा, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– दिनांक–
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 5718 (भ0) दिनांक– 19/6/26
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त।

19.6.26
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

14232
17/6/26

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक-25.05.2026 को श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : अलग से संधारित।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों के स्वागत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सर्वप्रथम भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों द्वारा PPT के माध्यम से एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी मुख्यालय, बिहटा के परिसर में स्थायी संरचनाओं का निर्माण कार्य, जिला आपात अनुक्रिया सुविधा–सह–प्रशिक्षण केन्द्र (DERF-TC) एवं बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। समीक्षोपरान्त प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गए :–

1. <u>एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय, बिहटा के परिसर में स्थायी संरचनाओं का निर्माण कार्य।</u>

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस कार्य को 18 माह की अवधि में पूर्ण कर लेना था, परन्तु लगभग 03 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। ऑडिटोरियम, डीप डाइविंग पुल, स्वीमिंग पुल, सहायक समादेष्टा आवास, डिस्पेंसरी, खेल मैदान/परेड ग्राउंड आदि संरचनाओं के निर्माण की स्थिति काफी धीमी है।

प्रधान सचिव के द्वारा स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

(ii) बैठक में उपस्थित भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य में हुए विलंब के लिए संवेदक को debar करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

प्रधान सचिव के द्वारा इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अगली बैठक में अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(iii) समादेष्टा आवास में फीनिसिंग कार्य बचा हुआ है, जिसे त्वरित गति से करते हुए अंतिम रूप देने तथा इसे अगले 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(iv) समादेष्ट एस०डी०आर०एफ० के द्वारा बताया गया कि बैरको में 100 जवानों की क्षमता के अनुसार शौचालय/स्नानघर की संख्या पर्याप्त नहीं है। साथ ही उनका आकार (size) भी काफी छोटा है।

प्रधान सचिव द्वारा NBC norms के आलोक में इसकी समीक्षा करने एवं इस संबंध में अगली बैठक में एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश निदेशक मोनिटरिंग को दिया गया।

निदेशक अनु०

3509 / 17/6/26

5142 / 9.6.26

E:\2026\Alok Kumar\SDRF\Proceeding\instruction by principal Secretary in meeting_Proceeding_01-06-2026.docx

(v) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बैरकों में जवानों के वस्त्र आदि रखने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बैरक में स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में wardrobe का निर्माण कराया जा सकता है अथवा अन्य कोई उचित व्यवस्था किया जा सकता है। कार्यपालक अभियंता समीक्षा कर इस संबंध में एक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(vi) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि साईट पर पर्याप्त संख्या में मैनपावर कार्यरत नहीं है। ऐसे स्थिति में कार्य में तेजी लाना संभव नहीं हो सकेगा।

प्रधान सचिव द्वारा कार्य स्थल पर अतिरिक्त रिसोर्स/मैनपावर लगाने का निदेश दिया गया ताकि कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके।

(vii) कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि IOCL का गैस पाईपलाईन होने के कारण एस०डी०आर०एफ० परिसर के उत्तर-पूर्व की तरफ रेलवे ट्रैक के पास लगभग 30 मीटर में बॉउन्ड्री कार्य नहीं हो पा रही है।

प्रधान सचिव द्वारा समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ० को IOCL के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया।

(viii) निर्माण कार्य में अगले एक माह में होने वाली प्रगति के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा एक तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा।

2. जिला आपात अनुक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केन्द्र।

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जिलों के जिला आपात अनुक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केन्द्र में पानी की निकासी (Water drainage/sewarage) का समूचित प्रबंध नहीं किया गया है। इस संबंध में डायरेक्टर, मॉनिटरिंग, भवन निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) सीतामढ़ी, बेगूसराय, मधेपुरा, भोजपुर एवं सिवान जिले में जिला आपात अनुक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस संबंध में डायरेक्टर, मॉनिटरिंग, भवन निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जिलों में मिट्टी जाँच एवं निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

प्रधान सचिव द्वारा इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(iii) जिला आपात अनुक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधिष्ठापित सोलर पैनल के क्रियान्वयन हेतु विद्युत कंपनी से बात कर समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया।

3. बाढ़ आश्रय स्थल।

(i) बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण हेतु शिवहर एवं मोतिहारी जिला के भूमि अधिग्रहण हेतु जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

(32)

(ii) यदि उपलब्ध भूमि पर मिट्टी भरवाकर निर्माण करना पड़े तो, भवन निर्माण विभाग इसका आकलन कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराये।

(iii) प्रधान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बाढ़ आश्रय स्थल के भवनों के संबंध में खेद प्रकट किया गया है कि भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है।

प्रधान सचिव द्वारा इसके समुचित रख–रखाव हेतु विभाग स्तर पर समीक्षा बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

अगला समीक्षा बैठक **दिनांक–25.06.2026** को **पूर्वाह्न 11:00** बजे से आहूत करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

ह०/–
(अविनाश कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–02/स्था०–17–36/2009/1685/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–08-06-26

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/6/2026

संयुक्त सचिव

C:\2026\Alok Kumar\SDRF\Proceeding\Instruction by principal Secretary in meeting_Proceeding_01-06-2026.docx